राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

चैत्र 22, सोमवार, शाके 1932–अप्रेल 12, 2010
Chaitra 22, Monday, Saka 1932–April 12, 2010

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित
करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विश्वविद्यालय के परिनियम

टिप्पणियाँ

अगले अध्यायों में अधिनियम की धाराओं का संख्यांक और परिनियमों का संख्यांक मात्र सुविधा के लिए दिये गये हैं।

यह, यह सुझाव देने के लिए आशयित नहीं है कि अधिनियम की कोई भी अन्य धाराओं या परिनियमों का इन विषयों पर कोई संबंध नहीं है।

निम्नलिखित संक्षेपाक्षर का उपयोग इस पुस्तिका में आगे के पृष्ठों में किया गया है :-

परिनियम के लिए 'प'

'अधिनियम', 'आर्डिनेन्स' एवं 'नियम' शब्दों का यथास्थान यथावत् उपयोग किया गया है

विश्वविद्यालय के परिनियम

परिभाषाएँ

प. 1. इन परिनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो–

(क) 'अधिनियम' से आदिनांक यथा-संशोधित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 अभिप्रेत है,

(ख) 'अधिकारियों' 'प्राधिकारियों' 'आचार्यों' 'सह-आचार्यों' 'सहायक आचार्यों' 'प्राध्यापकों' 'चिकित्सालय अधीक्षक' 'चिकित्सा अधिकारी', 'कुल-सचिव' 'उप कुल-सचिव' 'सहायक कुल सचिव' 'अनुभाग अधिकारी' 'नर्सिंग अधीक्षक' 'लिपिक वर्गीय स्टाफ' 'अधीनस्थ तकनीकी स्टाफ' तथा 'चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों' तथा समय-समय सृजित ऐसे अन्य पदों से क्रमशः विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी अभिप्रेत है,

(ग) 'संकाय में समाविष्ट विभागाध्यक्ष', से प्राध्यापक से ऊपर का ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है जिसे संकाय के विषय में उपाधि कक्षाओं के अध्यापन का कम से कम 8 वर्ष का अनुभव हो,

(घ) 'अध्यापक तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों' से विश्वविद्यालय के किसी विभाग में या उसके संबंद्ध/संघटक किसी महाविद्यालय या अनुमोदित संस्था में अध्यापन तथा शिक्षा देने या अनुसंधान या विस्तारी कार्यक्रम में का संचालन तथा मार्गदर्शन करने के कार्य में लगे हुए व्यक्ति अभिप्रेत हैं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठक की प्रक्रिया

प. 2. प्रबंध बोर्ड की बैठकें (अधिनियम की धारा 12 (3 और 4 के अधीन)–

(i) बोर्ड की बैठकें विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जायेंगी जब तक कुलपति अन्यथा निर्दिष्ट न करे।

(ii) केवल ऐसे प्रस्ताव तथा संशोधन जो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संसक्त हों तथा अधिनियम के अनुसार हों, प्रबंध बोर्ड में ग्रहण किये जायेंगे तथा उन पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

(iii) कुल-सचिव प्रबंध बोर्ड की प्रत्येक सामान्य बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को कार्यसूची सहित बैठक के समय तथा स्थान की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व देगा। विशेष बैठक की दशा में कुल-सचिव बैठक के समय और स्थान की ऐसी पूर्व सूचना इस प्रकार देगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ अनुज्ञात करें।

(iv) प्रबंध बोर्ड की सामान्य बैठक की अनुपूरक कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्ताव या संकल्प की सूचना कुल-सचिव को बैठक की तारीख के कम से कम सात दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए।

(v) कार्यसूची के प्रस्ताव में संशोधन तथा नये प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुज्ञा से सामान्य बैठक में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(vi) किसी भी बैठक में अध्यक्ष स्वविवेक से प्रबंध बोर्ड की बैठकों में विषयों पर चर्चा के लिए विहित प्रक्रिया इस प्रकार अपना सकेगा जहाँ तक वह उसे उपयुक्त समझे। बैठक में किये गये सभी विनिश्चय अभिलिखित किये जायेंगे।

(vii) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय का कोई भी सदस्य प्रबंध बोर्ड को कोई भी सिफारिश या प्रस्ताव कर सकेगा। उसे कुलपति के विवेक से कार्यसूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) बोर्ड की सभी बैठकों में अध्यक्ष का मत तथा निर्णायक मत होगा।

विद्या परिषद् की बैठकें (अधिनियम की धारा 14 (3) के अधीन)

प. 3. (i) विद्या परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

(ii) क़ल सचिव विद्या परिषद की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को कार्यसूची सहित बैठक के समय और स्थान का कथन करते हुए सूचना कम से कम इक्कीस दिन पूर्व देगा। विशेष बैठक की दशा में कुल-सचिव बैठक के समय और स्थान की ऐसी सूचना इस प्रकार देगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ अनुज्ञात करें।

(iii) बैठक की गणपूर्ति परिषद की कुल सदस्यता के पचास प्रतिशत से होगी।

(iv) विद्या-परिषद की बैठकें की अनुपूरक कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्ताव या संकल्प की सूचना कुल-सचिव को बैठक की तारीख के कम से कम सात दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए।

(v) कुलपति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए संकायों के एक संकायाध्यक्ष का चयन करेंगे।

(vi) विद्या परिषद की सभी बैठकों में अध्यक्ष का मत तथा निर्णायक मत होगा।

(vii) प्रबंध बोर्ड की किसी बैठक में कारोबार के संचालन से संबंधित प्रक्रिया, जहाँ तक हो सके, विद्या परिषद की बैठक के लिए लागू की जायेगी। बैठक में किये गये सभी विनिश्चय अभिलिखित किये जायेंगे।

संकायों की बैठकें

प. 4. संकायों की बैठकें तब की जायेंगी जब संकायाध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से कुल-सचिव द्वारा बुलायी जायें। कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से गणपूर्ति होगी।

(i) सकांयाध्यक्ष संकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा। संकायाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपना स्वयं का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(ii) कुल-सचिव संकाय की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को कार्यसूची सहित बैठक के समय और स्थान का कथन करते हुए सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व देगा। विशेष बैठक की दशा में कुल-सचिव बैठक के समय और स्थान की सूचना इस प्रकार देगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ अनुज्ञात करें।

(iii) संकाय की बैठक की अनुपूरक कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्ताव या संकल्प की सूचना
कुल-सचिव को बैठक की तारीख से कम से कम सात पूर्ण दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए।

(iv) कार्य सूची के प्रस्ताव में संशोधन तथा नये प्रस्ताव भी अध्यक्ष की अनुज्ञा से बैठक में प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

(v) संकाय की बैठक में अध्यक्ष स्वविवेक से प्रबंध बोर्ड के बैठकों में विषयों पर चर्चा के लिए विहित प्रक्रिया को, जहाँ तक वह उसे उपयुक्त समझे, अपना सकेगा।

(vi) संकाय की सभी बैठकों में अध्यक्ष का मत तथा निर्णायक मत होगा। बैठकों में किये गये सभी विनिश्चय अभिलिखित किये जायेंगे।

(vii) सामान्यहित के विषयों में जहाँ एक से अधिक संकायों के विचार प्राप्त करना आवश्यक हो वहाँ कुलपति संबंधित संकायों की संयुक्त बैठक बुला सकेगा। ऐसी बैठकों में वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा।

अध्ययन बोर्ड की बैठकें

प. 5 (i) अध्ययन बोर्ड की बैठक तब बुलायी जायेगी जब कुल सचिव द्वारा संबंधित अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष के साथ पूर्व परामर्श से बुलायी जाये।

(ii) कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से गणपूर्ति होगी।

(iii) संकायों की बैठक में कारोबार के संचालन से संबंधित प्रक्रिया, जहाँ तक हो सके अध्ययन बोर्ड की बैठकों तथा उन की सूचना के लिए लागू होगी।

वित्त और लेखा समिति

[अधिनियम की धारा 20 (2, 3) के अधीन] -

प. 6. (i) कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से गणपूति होगी।

(ii) अध्यक्ष का मत तथा निर्णायक मत होगा।

(iii) निर्वाचित तथा नामनिर्देशित सभी सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(iv) वित्त और लेखा समिति विश्वविद्यालय के वित्त के संबंध में सभी अन्य सापेक्ष शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(v) वित्त और लेखा समिति ऐसी अन्य समितियाँ नियुक्त कर सकेगी जो वह विश्वविद्यालय निधियों के उचित कृत्यकरण के लिए ठीक समझे तथा इन लेखाओं को चलाने के लिए नियम विरचित कर सकेगी।

संकाय

आयुर्वेद संकाय

प. 7. संकाय को समनुदिष्ट विभाग, उपाधियाँ, डिप्लोमें तथा प्रमाण-पत्र निम्नलिखित होंगे :-

विभाग :

1. संहिता और सिद्धान्त
2. क्रिया शारीर
3. रचना शारीर
4. दृव्यगुण विज्ञान
5. रस शास्त्र भैषज्य कल्पना
6. रोग निदान
7. स्वस्थवृत्त
8. अगद तंत्र व्यवहार आयुर्वेद
9. प्रसूति, स्त्री रोग
10. कौमारभृत्य
11. कायचिकित्सा
12. शल्य तंत्र
13. शालाक्य तंत्र
14. पंचकर्म।

उपाधियाँ :

1. आयुर्विद्यावारिधि (संबंधित विभाग) में पीएच.डी.
2. आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी. आयुर्वेद)
3. आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस. आयुर्वेद)
4. आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेद औषध और शल्य क्रिया मे स्नातक - बी.ए.एम.एस.)
5. बी. फार्मा (आयुर्वेद)
6. एम. फार्मा (आयुर्वेद)

डिप्लोमा :

1. आयुर्वेद नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा
2. हर्बल फार्मिंग- आयुर्वेद में डिप्लोमा
3. फार्मेसी में डिप्लोमा
4. योग और प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा (डी.वाई.एन.)

यूनानी औषध संकाय

प. 8. संकाय को समनुदिष्ट विभाग, उपाधियाँ, डिप्लोमें तथा प्रमाण पत्र निम्नलिखित होंगे :-

विभाग :-

1. कुलियात
2. तशरीह-उल-बदन
3. मुनाफे-उल-अजा
4. इलमुल-अदविया-वा-सैदला
5. इलमुल अमराज
6. तिब्बे कानूनी एवं इलमुस समूम
7. तेहफुजी-वा- समाजीतिब
8. मुआली जात
9. निसवान वा- अतफाल
10. इलमुल काबलात
11. जराहत
12. आइन-उज्न-अनफ हलक
13. अमराज-ए-जिलद एवं जोहराविया

14. इलाज बिद तदबीर

उपाधियाँ

1. एम.डी. यूनानी

2. कामिले तिब्बो जराहियात (बी.यू.एम.एस.)

(बेचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी)

डिप्लोमा

1. यूनानी नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा

2. हर्बल-फार्मिंग-यूनानी में डिप्लोमा

3. फार्मेसी-यूनानी में डिप्लोमा

होम्योपैथी संकाय

प. 9- संकाय को समनुदिष्ट विभाग, उपाधियाँ, डिप्लोमें तथा प्रमाण पत्र निम्नलिखित होंगे :-

विभाग :

1. Organon of Medicine, Principles of Homoeopathy Philosophy & Psychology.
2. Anatomy
3. Physiology including Biochemistry
4. Homoeopathic Pharmacy.
5. Homoeopathic Materia Medica
6. General Pathology & Microbiology
7. Forensic Medicine & Toxicology
8. Practice of Medicine
9. Surgery
10. Gynaecology & Obstetrics
11. Community Medicine
12. Repertory

उपाधियाँ

1. एम.डी. (होम्योपैथो)

2. बी.एच.एम.एस. (बेचलर ऑफ होम्योपैथी एण्ड सर्जरी)

टिप्पणी–लघु अवधि, दीर्घावधि निवासीय और, या दूरस्थ पाठ्यक्रम आर्डिनेन्स के अनुसार समय-समय पर समाविष्ट किये जायेंगे।

संकाय के कृत्य

(अधिनियम की धारा 18 के अधीन)

प. 10. 1. विद्या परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए संकाय को समनुदिष्ट अध्ययन विभागों में अध्यापन और अनुसंधान कार्य आयोजित करना।

2. संबंधित अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक परीक्षा के अध्ययन पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्या को विद्या परिषद को सिफारिश करना।

3. उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधि की विद्या परिषद को सिफारिश करना।

4. संकाय को समनुदिष्ट विषय में कार्य का समन्वयक करना।

5. अनुसंधान तथा अन्त:शाखा अनुसंधान में समन्वय सुनिश्चित करना।

6. विभागों के संयोजन तथा उप-विभाजन के लिए विद्या परिषद को सिफारिश करना।

7. किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय पर विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्ध संकाय

(अधिनियम की धारा 16 (3, 4 और 6) तथा धारा 50 के अधीन)

प. 11. अधिनियम की धारा 16 के अधीन योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्ध का उपबंध होते हुए भी यह समुचित होगा कि ऐसा संकाय स्थापित किया जाये बशर्ते कम से कम एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय या उससे संबद्ध किये जाने के लिए तीन महाविद्यालय हों, इसी दौरान आयुर्वेद संकाय के अधीन योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों की संयुक्त तदर्भ समिति अधिनियम की धारा 50 के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रारंभ में दो वर्ष के लिए गठित की जाये तथा यदि आवश्यक समझा जाये तो पुनर्गठित की जाये जिसमें निम्नलिखित हों :-

(i) संकायाध्यक्ष, आयुर्वेद संकाय,

(ii) अध्यक्ष, आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड,

(iii) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में दो विख्यात विशेषज्ञ प्रत्येक में एक विद्या परिषद द्वारा नाम निर्देशित किया जाना है। समिति की सिफारिशें आयुर्वेद संकाय के समक्ष रखी जायेंगी।

अध्ययन बोर्ड

आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड (अधिनियम की धारा 19 (1 और 2)

प. 12. आयुर्वेद संकाय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाने वाला आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड होगा। बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार होगी :-

(i) चौदह आंतरिक सदस्य, जो हर एक विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे, परन्तु उनमें स्नातकोत्तर विभागों के कम से कम छह विभागाध्यक्ष होंगे।

(ii) दो बाह्य सदस्य जो आयुर्वेद के विख्यात अध्यापक हों।

यूनानी अध्ययन बोर्ड

प. 13. यूनानी संकाय द्वारा तोन वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाने वाला यूनानी अध्ययन बोर्ड होगा। बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार होगी :-

(i) चौदह आंतरिक सदस्य जो संकाय को समनुदिष्ट चौदह विभाग में हर एक का प्रतिनिधित्व करेंगे परन्तु उनमें स्नातकोत्तर विभागों के कम से कम दो विभागाध्यक्ष होंगे।

(ii) दो बाह्य सदस्य जो यूनानी के विख्यात अध्यापक होंगे।

होम्योपैथी अध्ययन बोर्ड

प. 14. होम्योपैथी संकाय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाने वाला होम्योपैथी अध्ययन बोर्ड होगा। बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार होगी -

(i) बारह आंतरिक सदस्य जो संकाय को समनुदिष्ट बारह विभागों में हर एक का प्रतिनिधित्व करेंगे परन्तु उनमें स्नातकोत्तर विभागों के कम से कम तीन विभागध्यक्ष होंगे।

(ii) दो बाह्य सदस्य जो होम्योपैथी के विख्यात अध्यापक होंगे।

अध्ययन बोर्ड के कृत्य

प. 15 (i) अध्ययन बोर्ड अपने संबंधित विषयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा पाठ्यचर्या या अपनी परिधि के भीतर के विशेष विषय या विषयों में पाठ्यक्रम के सुधार से संसक्त विषयों की सिफारिश करेंगे तथा उन्हें प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद या संबंधित संकाय द्वारा निर्दिष्ट उनसे संबंधित सभी विषयों पर सलाह देंगे।

(ii) अध्ययन बोर्ड अपने-अपने विषय या विषयों में परीक्षा से संसक्त विषय विद्या परिषद् या प्रबन्ध बोर्ड के नोटिस में ला सकेंगे तथा संबंधित संकाय को उसमें पाठ्यक्रमों के सुधार से संबंधित किसी विषय को भी संबोधित कर सकेंगे।

(iii) भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में विभिन्न विषयों के लिए पैनल प्रति वर्ष बोर्ड द्वारा तैयार किये जायेंगे।

(iv) बोर्ड अपने कारोबार का निपटारा बैठकों में या पत्राचार से या दोनों से कर सकेंगे।

(v) अध्ययन बोर्ड किसी भी परीक्षा के लिए अध्ययन पुस्तकों की सिफारिश तथा उन्हें विहित कर सकेंगे किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित कोई भी पुस्तक, जो बोर्ड का सदस्य है, किसी परीक्षा के लिए विहित नहीं की जायेगी या उसकी संस्तुति नहीं की जायेगी।

अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष

प. 16. प्रत्येक बोर्ड का अपने आंतरिक सदस्यों में से निम्नलिखित अधिमानक्रम में स्वयं द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा, अर्थात् :-

(i) विभागाध्यक्ष की हैसियत से स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य,

(ii) स्नातकोत्तर विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष,

(iii) विभागाध्यक्ष की हैसियत से स्नातक महाविद्यालय का प्राचार्य,

(iv) स्नातक विभाग का आचार्य तथा विभागाध्यक्ष,

कुलपति

(अधिनियम की धारा 24 (9)

प. 17. कुलपति की सेवा की परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

(i) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। उसे या तो प्रतिमास 25,000-रुपये नियत या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समय-समय पर यथा संशोधित मानकों के अनुसार या राज्य सरकार के आदेश के अनुसार या राज्य के विश्वविद्यालयों में अन्य कुलपतियों को संदत्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित आदेश के अनुसार वेतन संदत्त किया जायेगा।

कुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा सुसज्जित मुफ्त निवास दिया जायेगा। कुलपति अपने निवास में मुफ्त विद्युत तथा जल सुविधाओं का हकदार होगा।

यदि सरकार से सेवानिवृत्त व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे पेंशन फायदों को घटाकर अंतिम आहरित वेतन के बराबर वेतन संदत्त किया जायेगा।

(ii) कुलपति आकस्मिक छुट्टी, पूर्ण और अद्धवेतन छुट्टी तथा ऐसे अन्य फायदों का हकदार होगा जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं। कुलपति नियुक्ति की अपनी अवधि पूरी करने के समय छुट्टी भुनाने का भी हकदार होगा।

(iii) कुलपति अपने वेतन पर अपनी भविष्य निधि के पेटे विश्वविद्यालय द्वारा 8 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि अंशदान का हकदार होगा।

(iv) कुलपति विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार चिकित्सीय सुविधाओं का भी हकदार होगा।

(v) कुलपति समय-समय पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार अन्य अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का हकदार होगा।

(vi) कुलपति विश्वविद्यालय यान अर्थात् विश्वविद्यालय कार तथा अपने निवास के रख-रखाव के लिए तथा सुरक्षा के लिए भी अध्यपेक्षित कर्मचारियों का हकदार होगा।

(vii) कुलपति विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों का हकदार होगा।

प. 18. **(अधिनियम की धारा 26 (3) के अधीन) कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव की अर्हताएँ और अनुभव**

कुल सचिव, परीक्षक नियंत्रक, उप कुल सचिव और सहायक कुल सचिव की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा राजस्थान के विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) में अधिकथित रीति से की जायेगी। उनकी भर्ती के लिए अध्यपेक्षित अर्हताएँ और अनुभव ऐसा होगा जो निम्नानुसार अधिकथित है :–

पद का नाम और वेतनमान	आवश्यक	
	अर्हताएँ	अनुभव
1. कुल सचिव (विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-विहित, पुनरीक्षित)	किसी सांविधिक विश्वविद्यालय से प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर	किसी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान में प्रशासनिक, शैक्षिक, परीक्षा अनुभाग में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम 13 वर्ष का अनुभव
2. परीक्षा नियंत्रक (विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-विहित, पुनरीक्षित)	किसी सांविधिक विश्वविद्यालय से प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर	किसी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान में प्रशासनिक, शैक्षिक, परीक्षा अनुभाग में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव
3. उप कुल सचिव (विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-विहित, पुनरीक्षित)	किसी सांविधिक विश्वविद्यालय से प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर	किसी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान में प्रशासनिक, शैक्षिक, परीक्षा अनुभाग में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव
4. सहायक कुल सचिव (विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-विहित, पुनरीक्षित)	किसी सांविधिक विश्वविद्यालय से प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर	किसी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त शासी संस्थान में प्रशासनिक, शैक्षिक, परीक्षा अनुभाग में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से 4 वर्ष का अनुभव।

कुल सचिव की शक्तियाँ

(अधिनियम की धारा 26 और 31 (ग) के अधीन)

प. 18. 1. आपात में जब कुलपति कार्य करने में समर्थ न हो तब कुल सचिव प्रबंध बोर्ड की बैठक तत्काल बुला सकेगा तथा इस विश्वविद्यालय का कार्य निष्पादित करने के लिए उसके निर्देश ले सकेगा।

संकायाध्यक्ष की नियुक्ति

(अधिनियम की धारा 27 के अधीन)

प. 19. किसी भी संकाय में विहित मानकों के अनुसार संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए यथोचित व्यक्ति के अभाव में कुलपति विश्वविद्यालय संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में उपलब्ध समुचित आचार्य, सह-आचार्य को तदर्भ आधार पर नियुक्त कर सकेगा।

खेल और छात्र कल्याण बोर्ड

प. 20. विश्वविद्यालय का एक खेल और छात्र कल्याण बोर्ड होगा। बोर्ड के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(i) विश्वविद्यालय के सदस्यों और छात्रों के बीच खेलों, खेल-कूदों तथा अन्य शारीरिक क्रिया-कलापों को प्रोन्नत करना।

(ii) छात्रों के बीच अनुशासन की आदत मन में बैठाना।

(iii) संकाय खेल-प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित करना तथा अन्तर विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्रीय तथा ऐसी अन्य प्रतियोगिताओं, जो बोर्ड द्वारा ठीक समझी जाये, में विश्वविद्यालय दल का भाग लेना तथा ऐसे सभी अन्य कार्य करना, जो उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए सहबद्ध तथा समनुषंगी हों।

(iv) विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित करके छात्र कल्याण को प्रोन्नत करना।

बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा :-

(i) कुलपति संरक्षक होगा,

(i) बोर्ड का अध्यक्ष, जो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा,

(iii) विभिन्न खेलों तथा खेल-कूदों से एक व्यक्ति जिसे सदस्य के रूप में कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

नियुक्त सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की कालावधि होगी।

अनुसंधान बोर्ड

प. 21. अनुसंधान बोर्ड अधिनियम की धारा 50 के अधीन स्थापित किया जायेगा। अनुसंधान बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अनुसंधान बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :-

(i) कुलपति-अध्यक्ष

(ii) संकायों के संकायाध्यक्ष, और

(iii) संघटक महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक आचार्य,

(iv) ऐसे प्रत्येक संकाय का कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक आचार्य (संकायाध्यक्ष से भिन्न) जिसके पास कोई विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग नहीं हो।

2. एक-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी। कुलपति की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम आचार्य अध्यक्षता करेगा।

3. अनुसंधान बोर्ड की संस्तुतियों पर विद्या परिषद् और प्रबंध बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

अनुसंधान बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(i) अनुसंधान कार्य के लिए पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता के लिए न्यूनतम अर्हताओं की संस्तुति करना, (ii) अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता के लिए संबद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों से प्राप्त आवेदनों पर विचार और संस्तुति करना,

(iii) अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन के लिए विश्वविद्यालय से बाहर के प्रख्यात व्यक्तियों के नामों की संस्तुति करना,

(iv) डाक्टरीय उपाधियों के रजिस्ट्रीकरण के मामलों में भी वहाँ संस्तुति करना जहाँ विषय, संकाय का परिवर्तन हो,

(v) डाक्टरीय शोध के परीक्षकों के बीच मतभेदों के मामलों तथा विषय पर नियमों के अन्तर्गत अभिव्यक्त रूप से न आने वाली अन्य आपवादिक स्थितियों पर विचार करना,

(vi) स्तर बनाये रखने तथा अनुसंधान की प्रोन्नति के संबंध में ऐसी अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे विद्या परिषद या प्रबंध बोर्ड द्वारा समनुदिष्ट किय जायें,

(vii) अनुसंधान छात्रवृति देने के लिए संस्तुति करना।

विश्वविद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग/संस्थाएँ/छात्रावास

(अधिनियम की धारा 31 (ङ) के अधीन)

तथा

(अधिनियम की धारा 42 (2 और 3) के अधीन)

प. 22. विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किसी महा-विद्यालय या किसी स्नातकोत्तर या अनुसंधान संस्था या विभाग को स्थापित या संधारित कर सकेगा।

विश्वविद्यालय महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों में प्रवेश, नामांकन से संबंधित नियमों का लागू होना

प. 23. संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रा के प्रवेश, छात्रों के नामांकन, अनुशासन, स्वास्थ्य और निवास, छात्रवृतियों, पदकों और पुरस्कारों तथा परीक्षा से संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए सभी परिनियम, आर्डिनेन्स, विनियम तथा नियम विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये अध्यापन विभागों तथा महाविद्यलयों को आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे तथा सदैव लागू किये हुए समझे जायेंगे तथा इन विषयों के लिए ऐसा अध्यापन विभाग या महाविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय समझा जायेगा तथा सदैव समझा हुआ माना जायेगा।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

विश्वविद्यालय अध्यापकों के चयन के लिए समिति

प. 24. चयन समिति ऐसी होगी जो अद्यतन संशोधित राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के अधीन विहित है तथा जो राजस्थान में विश्वविद्यालयों में अध्यापकों तथा अधिकारियों की सेवा की विशेष शर्तों तथा उनसे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ की अर्हताएँ, परिलब्धियाँ तथा सेवा की शर्तें अधिनियम की धारा 33 (1-ञ) के अधीन इस निमित्त आर्डिनेन्सों द्वारा अधिकथित की जायेंगी।

अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति

प. 25. कुलपति विभिन्न अध्यापन पदों के लिए अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति एक शैक्षिक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए कर सकेगा।

संबद्ध महाविद्यालय प्रबंध (अधिनियम की धारा 35 के अधीन)

प. 26. (i) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय लोक शैक्षिक संस्था होगा।

(ii) किसी संबद्ध महाविद्यालय की सम्पूर्ण निधियाँ उसके स्वयं के शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जायेंगी तथा सरकार द्वारा संधारित न किये गये महाविद्यालय की दशा में नियमित रूप से गठित ऐसे शासी निकाय द्वारा पूर्णतया नियंत्रित की जायेंगी जिसमें विश्वविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रतिनिधि, प्राचार्य तथा अध्यापन स्टाफ द्वारा निर्वाचित न्यूनतम एक अध्यापक-सदस्य सम्मिलित होगा। शासी निकाय के गठन से संबंधित नियम ऐसे होंगे जो महाविद्यालय का उचित प्रबंध सुनिश्चित करेंगे।

टिप्पण– विश्वविद्यालय नाम निर्देशिती की पदावधि तीन शैक्षिक वर्ष होगी तथा एक बार नाम निर्देशित व्यक्ति पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा।

(iii) शासी निकाय, प्रबंध के गठन में का कोई परिवर्तन प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(iv) महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) सरकार द्वारा संधारित न किया गया प्रत्येक महाविद्यालय प्राचार्य के अध्यापन पदों तथा महाविद्यालय में अन्य अध्यापन पदों पर नियुक्तियाँ विज्ञापन के पश्चात् तथा नीचे यथा-उपदर्शित चयन समिति की सिफारिश पर करेगा परन्तु यदि उच्चतर पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना है तो उसी चयन समिति को पदोन्नति समिति मान जाये तथा सभी पदोन्नतियाँ उक्त समिति की सिफारिश पर की जायेंगी। कम से कम एक पक्षावधिपूर्व सूचना चयन, पदोन्नति समिति के सदस्यों को दी जायेगी।

(क) सभी अध्यापन पदों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(i) महाविद्यालय की प्रबंध समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष,

(ii) प्रबध समिति का एक नामनिर्देशिती,

(iii) महाविद्यालय का प्राचार्य (प्राचार्य से भिन्न नियुक्ति की दशा में)

(iv) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती (केवल सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की दशा में)

(v) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि,

(vi) प्रबंध समिति द्वारा (कुलपति द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले पैनल में से) नियुक्त किये जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ।

पाँच सदस्यों से गणपूर्ति होगी बशर्ते कम से कम एक विषय विशेषज्ञ तथा/या तो खण्ड (4) या (5) के अधीन एक सदस्य उपस्थित हो।

(ख) ऊपर पैरा (क) में निर्दिष्ट चयन समिति प्रबंध समिति को रिपोर्ट करेगी। यदि प्रबंध समिति संस्तुति स्वीकार कर लेती है तो वह नियुक्ति करेगी। यदि वह असहमत है तो मामले को नयी संस्तुति के अनुरोध के साथ चयन समिति को वापस करेगी। प्रबंध समिति चयन समिति की सिफारिशों पर उसके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में कुल सचिव को सूचित करेगी।

(i) प्रत्येक महाविद्यालय में महाविद्यालय के प्रशासन में प्राचार्य को सलाह देने के लिए सम्यक् रूप से गठित महाविद्यालय परिषद होंगी जिसमें अध्यापन स्टाफ का उचित रूप से प्रतिनिधित्व हो।

(ii) किसी संबद्ध महाविद्यालय को किसी भी विषय/संकाय का अध्ययन बंद करने के लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

ऐसी अनुज्ञा के लिए अग्रिम आवेदन कम से कम एक पूरे शैक्षिक वर्ष पूर्व, प्रस्ताव के समर्थन में कारण देते हुए संस्था के प्रधान द्वारा कुल सचिव को किया जायेगा जो प्रबंध द्वारा सम्यक् रूप से अग्रेषित हो।

(iii) सरकार द्वारा संधारित न किया गया प्रत्येक महाविद्यालय प्रबंध बोर्ड का या तो विन्यास के रूप में या उसका संधारण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा दिये गये वचन-बंध से यह समाधन करेगा कि उसके दक्ष संधारण के लिए पर्याप्त वित्तीय उपबंध उपलब्ध है तथा कि महाविद्यालय स्थायी आधार पर स्थापित किया गया हैं। यदि किसी भी समय किसी महाविद्यालय का शासी निकाय महाविद्यालय को चलाने में असमर्थ हो जाये तो वह प्रबंध बोर्ड को कम से कम एक पूरे शैक्षिक वर्ष पूर्व सूचना देगा तथा ऐसी ही अवधि अर्थात् एक पूरे शैक्षिक वर्ष की सूचना संस्था के कर्मचारियों को उनकी सेवाएँ समाप्त करने के लिए देगा,

परन्तु किसी संस्था का बंद किया जाना प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में, जिसके लिए वह संबद्ध है, पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष से प्रारंभ होकर क्रमिक प्रक्रमों पर होगा।

(iv) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी पंजिका और अभिलेख रखेगा जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें तथा ऐसी सांख्यिकीय अन्य सूचना देगा जो विश्वविद्यालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(v) प्रत्येक महाविद्यालय प्रबंध बोर्ड द्वारा नियत की जानी वाली तारीख तक स्टाफ या प्रबंध में किसी भी परिवर्तन की विशिष्टयाँ तथा परिस्थितियाँ, छात्रों की संख्या तथा आय और व्यय का विवरण तथा ऐसी अन्य सूचना, जिसकी अपेक्षा की जाये, देते हुए पूर्व वर्ष के दौरान महाविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

शिक्षण

प. 27. प्रत्येक महाविद्यालय ऐसे विषयों में तथा ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में शिक्षण करेगा जो प्रबंध बोर्ड द्वारा उस महाविद्यालय के संबंध में समय-समय पर प्राधिकृत किये जायें।

शैक्षिक दक्षता

प. 28. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का यह समाधान करेगा कि वह उन प्रयोजनों के लिए शैक्षिक दक्षता का संतोषजनक स्तर रखता ह जिनके लिए शिक्षण, आंतरिक परीक्षाओं तथा कक्षोन्नति तथा छात्रों के शिक्षकीय मार्गदर्शन तथा सभी अन्य विषयों के संबंध में मान्यता का उपयोग करता है या उसे चाहता है।

संगठन और प्रबंध

प. 29. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का यह समाधान करेगा कि वह सभी बातों में यथोचित रूप से संगठित तथा संचालित है।

अध्यापन स्टाफ

प. 30. (i) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का यह समाधान करेगा कि प्रत्येक विषय में उसके अध्यापन

स्टाफ की संख्या और अर्हताएँ पर्याप्त तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियमों के अनुसार है तथा उनकी परिलब्धियाँ तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हैं।

(ii) प्रत्येक महाविद्यालय अध्यापकों तथा छात्रों का ऐसा अनुपात रखेगा जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जाने वाले न्यूनतम से कम न हो तथा जो सम्पूर्ण शिक्षकीय पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त हो।

(iii) महिला महाविद्यालयों का स्टाफ यथाशक्य संभव महिलाओं से संरचित किया जायेगा।

(iv) सरकार द्वारा संधारित न किये गये किसी महाविद्यालय में प्रत्येक अध्यापक उसकी सेवा की शर्तों तथा उसे संदत्त किये जाने वाले वेतन का कथन करते हुए लिखित संविदा के अधीन नियोजित किया जायेगा तथा उसकी संविदा की एक प्रति अध्यापक को दी जायेगी तथा एक प्रति विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी।

(v) सरकार द्वारा संधारित न किये गये किसी संबद्ध महाविद्यालय तथा प्राचार्य सहित उसके अध्ययन स्टाफ के किसी सदस्य के बीच संविदा से उद्भूत किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद माध्यस्थम् को निर्देशित किया जायेगा तथा माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंधों के आधार पर विनिश्चित किया जायेगा। ऐसा माध्यस्थम् संबंधि महाविद्यालय से

असहयुक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिनमें एक-एक का चुनाव मतभेद वाले प्रक्षकारों द्वारा किया जाना है तथा उनकी असहमति की दशा में कुलपति या उसका नामनिर्देशिती अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा। माध्यस्थम् का या यथास्थिति, अधिनिर्णायक का विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे माध्यस्थम् में अध्यापक के प्रक्ष में दिया गया पंचाट ऐसे मतभेद या विवाद के संबंध में महाविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई के किसी अधिकार की पूर्व शर्त होगा :

परन्तु यह खण्ड किसी संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अध्यापन स्टाफ के किसी सदस्य, जो परिवीक्षाधीन है या अस्थायी आधार पर है, की सेवा की समाप्ति के संबंध में उद्भूत विवाद के किसी मामले में लागू नहीं होगा।

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किया गया प्रत्येक महाविद्यालय अपने अध्यापन स्टाफ के फायदे के लिए प्रबंध बोर्ड द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार भविष्य निधि संधारित करेगा।

(vii) किसी संबद्ध महाविद्यालय द्वारा दुराचरण के लिए पदच्युत किसी अध्यापक को कुलपति की लिखित पूर्व सम्मति के बिना किसी अन्य संबद्ध महाविद्यालय द्वारा नियोजित नहीं किया जायेगा।

छात्रों का प्रवेश

प. 31. किसी महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश आर्डिनेन्सों, नियमों द्वारा इस निमित्त विहित शर्तों के अध्यधीन होगा।

अवधियाँ और अवकाश

प. 32. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय की अवधियों तथा अवकाशों की अनुरूपता रखेगा।

महाविद्यालय फीस

प. 33. प्रत्येक महाविद्यालय में प्रभारित फीस ऐसी होगी जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की जाये।

वास और उपस्कर

प. 34. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का यह समाधान करेगा कि उसके भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय उपस्कर तथा अन्य सभी उपस्कर संतोषजनक हैं।

पुस्तकालय

प. 35. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का उसके पुस्तकालय की पर्याप्तता तथा पुस्तकों के सूचीकरण तथा उधार देने की पद्धति के यथोचित्य के बारे में समाधान करेगा।

अनुशासन, स्वास्थ्य तथा निवास

प. 36 (1) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का यह समाधान करेगा कि महाविद्यालय तथा छात्रावासों म उचित अनुशासन बनाये रखा जाता हैं।

(2) प्रत्येक महाविद्यालय अपने उन छात्रों के निवास की पर्याप्त व्यवस्था करेगा जो अपने माता-पिता या मान्य संरक्षक के साथ निवास नहीं कर रहा हैं तथा अपने छात्रों के शारीरिक व्यायाम तथा स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा तथा चिकित्सीय परीक्षा तथा देखरेख के लिए दक्ष प्रणाली नियोजित करेगा। महाविद्यालयों या उनके छात्रावासों में निवास विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नियमों द्वारा शासित होगा।

(3) प्रत्येक महाविद्यालय और उसके छात्रावास स्वास्थ्य तथा निवास के संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से निरीक्षण के अध्यधीन होंगे।

(4) प्रत्येक महाविद्यालय, जिसमें महिला छात्रों साथ ही छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, महिला छात्रों के लिए पृथक् विश्राम कक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

निरीक्षण, मान्यता और संबद्धता (अधिनियम की धारा 39 के अधीन)

प. 37. प्रथम बार या अस्थायी, अन्तिम संबद्धता की अवधि में विस्तार के लिए या अतिरिक्त विषयों में या अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबंद्धता या स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला कोई महाविद्यालय लिखित आवेदन आर्डिनेन्सों के अधीन यथा-विहित आवश्यक फोस के साथ उस शैक्षिक वर्ष की, जिससे ईप्सित मान्यता प्रभावी होनी है, पूर्ववर्ती 31 दिसम्बर तक न कि उसके पश्चात् उचित माध्यम से कुल सचिव को किया जायेगा। तथापि, आवेदन उसके पश्चात् भी किन्तु 30 अप्रैल तक ग्रहण किया जा सकेगा बशर्ते विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को समाधानप्रदरूप में विधिमान्य कारण दिये जाये तथा आवेदन के साथ यथा-विहित विलंब फीस हो। अंतिम संबद्धता के विस्तार के लिए या स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन 30 अप्रैल के पश्चात् भी किन्तु शैक्षिक सत्र के प्रारंभ की तारीख के अपश्चात् विश्वविद्यालय के विवेक से विशेष मामले के रूप में ग्रहण किया जा सकेगा बशर्ते उसके साथ यथा-विहित अतिरिक्त विलम्ब शुल्क हो।

2. पूरे ब्यौरे सहित सम्यक् रूप से प्रक्रियाकृत आवेदन विद्या परिषद् के समक्ष रखा जायेगा जो महाविद्यालय के निरीक्षण क लिए उपबंध करेगी तथा उसे यथा-विहित कार्रवाई के लिए विद्या परिषद् को रिपोर्ट किये जाने के लिए महाविद्यालय से संसक्त किसी विषय की जाँच का आदेश करने की शक्ति होगी।

महाविद्यालय विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर ऐसी कार्रवाई करेगा जिसका निर्देश दिया जाये। अननुपालन की दशा में विश्वविद्यालय, विद्या परिषद के निर्देशों द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा/मान्यता वापस ले सकेगा। तथापि, कोई

कार्रवाई करने के पूर्व कोई अभ्यावेदन, रिपोर्ट करने या उपसंजाति का पर्याप्त अवसर महाविद्यालय प्रबंध को दिया जायेगा। सी.सी.आई.एम. तथा सी.सी.एच. द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्त भी लागू होंगे।

छात्रों का नामांकन (अधिनियम की धारा 46 तथा 32 (क) के अधीन)

प. 38. किसी को भी विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा यदि उसे विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित नहीं किया गया है। छात्रों के नामांकन के लिए प्रक्रिया आर्डिनेन्सों में अधिकथित की जायेगी।

महाविद्यालय फीस (अधिनियम की धारा 33 (ण) के अधीन)

प. 39. प्रत्येक महाविद्यालय में प्रभारित फीस ऐसी होगी जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की जाये। महाविद्यालय फीस, परीक्षा फीस, अध्यापन फीस तथा अन्य फीसें वही प्रभारित की जायेंगी जो इस निमित्त आर्डिनेन्सों, नियमों द्वारा विहित की जाये।

परीक्षा नियंत्रण बोर्ड (अधिनियम की धारा 11 (7) तथा धारा 22 क अधीन)

प. 40. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के संचालन के लिए तथा उनका परिणाम प्रकाशित करने के लिए परीक्षा नियंत्रण बोर्ड होगा तथा वह अधिनियम की धारा 11 (7) के अधीन विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होगा।

परीक्षा नियंत्रण बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कर्त्तव्य अधिनियम की धारा 33 (थ) के अधीन आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायेंगे।

परीक्षा समानता समिति (अधिनियम की धारा 50 के अधीन)

प. 41. अधिनियम की धारा 50 के अधीन समिति स्थापित की जा सकेगी। परीक्षा की विश्वविद्यालय की तत्समान परीक्षा के समान मान्यता के लिए परीक्षाएँ संचालित करने वाले विश्वविद्यालय, बोर्ड और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों पर समानता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समानता समिति में निम्नलिखित होंगे :

(i) कुलपति,

(ii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष, और

(iii) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष।

समिति के कृत्य

परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों, बोर्डों या अन्य ऐजेन्सियों से उनकी परीक्षाओं की विश्वविद्यालय की तत्समान परीक्षाओं के समान मान्यता के लिए प्राप्त आवेदनों पर समानता समिति द्वारा विचार किया जायेगा। किसी ऐसी संस्था की, जिसने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है, परीक्षाओं, उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों को समानता प्रदान करने का कोई मामला भी विचार के लिए समानता समिति को निर्देशित किया जा सकेगा। सांविधिक भारतीय विश्वविद्यालयों, बोर्डों की दशा में अंतिम मान्यता संबंधित परीक्षाओं के संबंध में सुसंगत नियमों, विनियमों और पाठ्य विवरण की विस्तृत परीक्षा लंबित रहने तक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए दी जा सकेगी उसके पश्चात् समानता के बारे में अंतिम विनिश्चय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

परीक्षकों का चयन

प. 42. ऐसा कोई व्यक्ति किसी परीक्षा के लिए किसी विषय में परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा जिसने विषय को परीक्षा के स्तर तक कम से कम तीन वर्ष तक पढ़ाया हो तथा जिसे किसी भी विषय में पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव हो।

परीक्षक समिति (अधिनियम की धारा 22 के अधीन)

प. 43. 1. परीक्षकों की नियुक्ति परीक्षक चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा की जायेगी। समिति चार या पाँच व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी।

2. यदि कोई परीक्षक किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तथा नयी नियुक्ति खण्ड 1 में विहित रीति से समय पर नहीं की जा सकती हो तो कुलपति को रिक्ति को भरने के लिए अन्य परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी तथा ऐसी नियुक्ति की सूचना प्रबंध बोर्ड को देगा।

3. प्रत्येक विषय या सहबद्ध विषयों के समूह की परीक्षक चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(i) कुलपति,

(ii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष,

(iii) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष,

(iv) संबंधित अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष से भिन्न एक सदस्य जो प्रतिवर्ष कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

प्रबंध बोर्ड के सदस्यों को पारिश्रमिक

प. 44. प्रबंध बोर्ड का ऐसा कोई सदस्य, जिसने परीक्षक होना स्वीकार किया है, परीक्षक के रूप में या सारणीकार के रूप में विश्वविद्यालय के लिए उसके द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा। तथापि,

यदि प्रबंध बोर्ड के किसी सदस्य को परीक्षक होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है तो उसे संदेय पारिश्रमिक की अधिकतम रकम पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

उपाधियों का प्रदान किया जाना (अधिनियम की धारा 5 (10) के अधीन)

प. 45. प्रत्येक व्यक्ति, जिसने विश्वविद्यालय की उपाधि या डिप्लोमे के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है, विहित फीस के संदाय पर व्यक्तिशः या अनुपस्थिति में उसके विकल्प पर संबंधित उपाधि या डिप्लोमे में सम्मिलित होने का पात्र होगा।

प्रबंध बोर्ड पूर्वोक्त व्यक्तियों को ऐसी उपाधियाँ तथा ऐसे डिप्लोमें, जो परिनियमों में विहित है, या तो दीक्षांत समारोह में व्यक्तिशः या अनुपस्थिति में उनके विकल्प पर प्रदान करेगा।

प्रबंध बोर्ड को वे उपाधियाँ तथा डिप्लोमे, जिनके लिए अर्हक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर आयोजित की गयी थी, उन व्यक्तियों को प्रदान करने की भी शक्ति होगी जिन्होंने अपनी परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली है तथा जिन्हें उन उपाधियों तथा डिप्लोमों को प्राप्त करने के लिए अर्ह घोषित किया गया है।

सम्मानिक उपाधियाँ प्रदान किया जाना

(अधिनियम की धारा 5 (10) और 48 के अधीन)

प. 46. 1. डाक्टर आफ लिटरेचर (आयुर्वेद) (डी.लिट. आयुर्वेद) या डी.एस.सी. (आयुर्वेद) की सम्मानार्थ उपाधियाँ ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जायेगी जिसने आयुर्वेद शिक्षा के हित में सहजदृश्य सेवा की है।

2. विद्या परिषद् सम्मानिक उपाधि प्रदान करने के लिए प्रस्ताव कर सकेगी। प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् प्रबंध बोर्ड के उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से सम्मानित उपाधि प्रदान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सकेगा। यदि यह प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो सम्मानिक उपाधि प्रदान की जायेगी।

सम्मानिक उपाधि का वापस लिया जाना

प. 47. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी सम्मानिक उपाधि प्रबंध बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई के पूर्व अनुमोदन से तथा कुलाधिपति की मंजूरी से विश्वविद्यालय द्वारा वापस ली जा सकेगी।

उपाधियाँ प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन

(अधिनियम की धारा 31 (ख) तथा अधिनियम की धारा 33 (थ) के अधीन)

प. 48. प्रबन्ध बोर्ड पूर्वोक्त व्यक्तियों को ऐसी उपाधियाँ तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमें, जो परिनियमों में उपबंधित हैं, या तो दीक्षांत समारोह में या अनुपस्थिति में उनके विकल्प पर प्रदान करेगा।

1. (क) एम.डी. (यूनानी), एम.डी. (होम्योपैथी), आयुर्वेद वाचस्पति एम.डी. (आयुर्वेद), आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस. आयुर्वेद), एम. फार्मा (आयुर्वेद) तथा आयुर्विद्यावारिधि पीएच.डी. (आयुर्वेद) की उपाधियाँ प्रदान करने तथा स्वर्ण पदक, पुरस्कार विश्वविद्यालय खेलकूद या खेल-प्रतियोगिता ट्राफियाँ देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह, यथा संभव, प्रति वर्ष विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति द्वारा नियत तारीख को आयोजित किया जायेगा। विशेष विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह भी जब कभी प्रबंध बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाये, आयोजित किया जा सकेगा।

(ख) सभी अन्य उपाधियाँ तथा डिप्लोमा प्रदान करने के लिए संस्थागत दीक्षांत समारोह, यथाशक्त संभव, प्रतिवर्ष प्रत्येक संबंद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्ययन/विश्वविद्यालय विभाग में संबंधित संस्था के प्रधान द्वारा विश्वविद्यालय के परामर्श से नियत तारीख को पृथक्शः आयोजित किये जायेंगे।

टिप्पणी – जब कुलपति का यह समाधान हो जाये कि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह या संस्थागत दीक्षांत समारोह अच्छे कारणों से आयोजित नहीं किया जा सकता है तो उपाधियाँ, डिप्लोमे तथा स्वर्ण पदक, पुरस्कार, ट्राफियाँ दीक्षांत समारोह आयोजित किये बिना दी जायेंगी।

2. विश्वविद्यालय दीक्षातं समारोह में विश्वविद्यालय निगमित निकाय समाविष्ट होगा।

3. विशेष दीक्षांत समारोह से भिन्न विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह की सभी बैठकों की सूचना कम से कम छह सप्ताह पूर्व कुल सचिव द्वारा दी जायेगी।

4. कुल सचिव सूचना के साथ विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के प्रत्येक सदस्य को उसमें अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी करेगा।

5. विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह तथा दीक्षांत समारोह में पालित की जाने वाली प्रक्रिया आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायेगी।

6. विभिन्न संकायों के रंग निम्नलिखित होंगे :–

आयुर्वेद संकाय	–	केसरिया
योग और प्राकृतिक चिकित्सा	–	श्वेत
यूनानी संकाय	–	आसमानी नोला
होम्योपैथी संकाय	–	गुलाबी

7. उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से केसरिया रंग का बैज पहने की अपेक्षा की जायेगी। बैज में विश्वविद्यालय का अधिचिह्न, दीक्षांत समारोह का वर्ष तथा संकाय का नाम उत्कीर्ण होगा। बैज में संबंधित संकाय का रंग उपदर्शित करने वाली दो पट्टियाँ भी दी जायेंगी। दीक्षांत समारोह में उपस्थित होन वाला कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव तथा प्रबंध बोर्ड के सदस्य भी केसरियाँ रंग की बैज पहनेंगे किन्तु वह उसी रंग की दो पट्टियों सहित बड़े आकार का होगा।

8. सभी उपाधियों, डिप्लोमों की याचना प्रबंध बोर्ड की बैठक में विश्वविद्यालय तथा संस्थागत दीक्षांत समारोहों के समक्ष की जायेगी। उपाधियों, डिप्लोमाओं पर वह तारीख लगी होगी जिसको प्रबंध बोर्ड अनुग्रह पारित करता है।

वसीयतों, संदानों तथा विन्यासों का प्रतिग्रहण और प्रबंध

प. 49. (i) वसीयतों, संदानों तथा विन्यासों के सभी प्रस्ताव, जिनका प्रबंध विश्वविद्यालय में निहित किया जाना है, उनसे वार्षिक वसूली की शर्त पर प्रतिगृहीत किये जायेंगे, उनमें 5 प्रतिशत की कटौती के अध्यधीन होंगे तथा ऐसी वार्षिक कटौती से वसूल रकम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विश्वविद्यालय की साधारण निधि में जमा की जायेगी।

(ii) प्रबंध बोर्ड अपने विवेक से यथोचित मामले में संकल्प द्वारा वार्षिक वसूली से कटौती की शर्त को अधित्यक्त कर सकेगा।

(iii) विश्वविद्यालय ऐसा विन्यास प्रतिगृहीत नहीं करेगा जिसके फायदे किसी जाति, पंथ या समुदाय तक निर्बंधित होने ईप्सित है। वसीयतों, संदानों तथा विन्यासों के प्रतिग्रहण तथा प्रबंध से संबंधित निबधन और शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित साथ ही व्यष्टियों, सोसाइटियों, संस्थाओं इत्यादी द्वारा दान में दिये गये पदक देने के मापदंड आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अध्यापकों की अर्हताएँ

(अधिनियम की धारा 33 (1) (ञ) के अधीन)

प. 50 (i) संकायों में विश्वविद्यालय महाविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्यापकों की त्रि-स्तरीय प्रणाली अर्थात् आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य/प्राध्यापक होगी तथा प्राचार्य/निदेशक उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(ii) अध्यापन स्टाफ की भर्ती तथा नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित संकाय में समय-समय पर अधिकथित की जायेंगी।

परन्तु इस विश्वविद्यालय के स्थापन के पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त अध्यापक संबंधित विषय या विभाग में पदोन्नति या नियुक्ति के किसी फर्क तथा अपहित से बचन के लिए अध्यपेक्षित अर्हताओं तथा अनुभव से संबंधित प्रचलित तथा लागू ऐसे मानकों तथा नियमों से शासित होंगे जो क्रमशः राजस्थान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा उनके अध्यापकों के लिए अवधारित है :

परन्तु वह और कि जहाँ विभागों का विभाजन हो गया है वहाँ मूल विभाग में अर्जित अध्यापन अनुभव किसी भी विभाजित विभाग में नियुक्ति या पदोन्नति के प्रति गिना जायेगा।

(iii) प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यापकों की अर्हताएँ आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायेंगी।

वेतनमान, नियुक्तियों के लिए करार तथा सवानिवृति आयु

प. 51. (i) विश्वविद्यालय महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का न्यूनतम वेतनमान, यथा संभव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान होना चाहिए, उस समय तक के लिए संबद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान आयुष क्रमशः भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित मानकों के अनुसार हो सकता है।

(ii) विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा संधारित महाविद्यालयों से भिन्न विश्वविद्यालय में, सरकार द्वारा संधाारित महाविद्यलयों से भिन्न विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में स्थायी पूर्णकालिक कर्मचारी की अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति की तारीख वह दिन है जिसको वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। तथापि, विश्वविद्यालय, सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को 65 वर्ष की आयु तक सेवा में पुनः नियुक्त किया जा सकेगा बशर्ते वह ड्यूटी क लिए मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बना रहे। ऐसी नियुक्ति कुलपति के पूर्व अनुमोदन से की जायेगी। महाविद्यालय, संस्था द्वारा की गयी ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड को की जानी चाहिए।

पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधि

प. 52. विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी भविष्य निधि, बीमा, पेंशन, छुट्टी के लाभ तथा ऐसे अन्य लाभ का ऐसी शर्तों के अध्यधीन हकदार होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जायें तब तक के लिए वे राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार होंग।

कठिनाइयों का निराकरण

प. 53. सीमांत कठिनाई तथा इन परिनियमों के अन्तर्गत न आये विवादों की दशा में कुलपति आवश्यक आदेश पारित करने के लिए समुचित कदम उठा सकेगा या नये आर्डिनेन्स विरचित किये जाने तक यथोचित कार्रवाई की संस्तुति करने के लिए विशेष समितियाँ नियुक्त कर सकेगा, जिसकी रिपोर्ट विद्या परिषद् तथा/अथवा प्रबन्ध बोर्ड को की जायेगी।

(प्रबंध बोर्ड द्वारा 8.6.07 को आयोजित बैठक में स्वीकृत तथा अनुमोदित)

एस.डी.
(चैनसिंह पंवार)
कुल-सचिव
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

अनुमत।
एस.डी.
(प्रभा राव)
कुलाधिपति
राजस्थान के विश्वविद्यालय

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेवा नियम, 2009

(आर्डिनेन्स सं. 98)

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक कार्यालयः कड़वड़, नागौर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 65, जोधपुर - 342 037 (राज.)

अधिसूचना

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 13 (द), (ध), (प), (फ) और (ब) तथा 30 और 31 (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की सेवा में भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेवा नियम, 2009

भाग 1 - साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–इन नियमों का नाम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेवा नियम, 2009 है।

2. सेवा की प्रास्थिति–राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेवा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेवा है।

3. निरसन–पूर्ववर्ती नियम इसके द्वारा निरसन किये जाते है तथा ये नियम राजस्थान के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना के पश्चात् तुरन्त प्रवृत्त होंगे। तथापि, अनुमोदन के पूर्व तथा पूर्ववर्ती नियमों के अधीन पूर्व में की गयी सभी कार्रवाइयाँ विधिमान्य रहेंगी।

4. परिभाषाएँ–इन नियमों में, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो या विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो–

(1) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से कुलपति के पद के लिए राज्यपाल, समूह 'क' तथा 'ख' के लिए कुलपति तथा समूह 'ग' तथा 'घ' के पदों के लिए कुल-सचिव अभिप्रेत है,

(2) 'सीधी भर्ती' से इन नियमों के भाग 3 में यथा-अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है,

(3) 'कुलपति' से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलपति अभिप्रेत है,

(4) 'संकाय' से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध का ऐसा संकाय अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जाये,

(5) 'शाखा' से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध की ऐसा कोई शाखा अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण या किसी भाग का गठन करती है,

(6) 'अनुभव' से जहाँ कहीं लागू हो तथा ब्यौरा नहीं बताया गया हो, पद पर व्यवहारतः कार्य द्वारा प्राप्त वास्तविक अनुभव अभिप्रेत है,

(7) 'समान पद' से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसका वेतनमान समान हो तथा कर्त्तव्य की प्रकृति वैसी ही हो,

(8) 'प्रबंध बोर्ड' से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है,

(9) 'सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है,

(10) ''समूह पद'' से नियम 7 के अनुसार समूह 'क' समूह, 'ख', समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के रूप में प्रवर्गीकत पद अभिप्रेत है,

(11) 'विश्वविद्यालय' से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अभिप्रेत है,

(12) 'सेवा का सदस्य' से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा के पद पर नियुक्त कोइ व्यक्ति अभिप्रेत है,

(13) 'नियमित चयन' से इन नियमों के अधीन विहित किसी भी रीति द्वारा सम्यक् चयन के पश्चात् इन नियमों के अधीन की गयी कोई नियुक्ति अभिप्रेत है,

(14) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(15) 'सेवा' से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की सेवा अभिप्रेत है,

(16) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

z. ये नियम उनको सम्मिलित करते हुए जो अनुसूची-I में उल्लिखित पद धारण कर रहे है, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे।

6. निर्वचन–नियमों के लागूकरण, निर्वचन तथा परिधि से उद्भूत या उनके संबंध में कोई भी शंका या अस्पष्टता, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, कुलाधिपति को निर्देशित की जायेगी जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

भाग 2 संवर्ग

|. **सेवा की संरचना तथा संख्याबल**–सेवा में चार अनुभाग समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

(1) (क) अध्यापन और अनुसंधान खंड,

(ख) प्रशासनिक खण्ड,

(ग) चिकित्सा, पराचिकित्सा, अधीनस्थ, तकनीकी तथा लिपिकवर्गीय खंड,

(घ) चतुर्थ श्रेणी खण्ड।

(2) सेवा के पद(दों) की प्रकृति वह होगी जो अनुसूची के स्तंभ सं. 2 में विनिर्दिष्ट है।

(3) सेवा के प्रत्येक खण्ड में पदों का संख्याबल इतना होगा जो प्रबंध बोर्ड द्वारा समय-समय पर सरकार की ऐसी सहमति, जो अपेक्षित हो, के अध्यधीन रहते हुए अवधारित किया जाये।

भाग 3 - भर्ती

8. भर्ती का स्त्रोत–इन नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय में भर्ती निम्नलिखित रीतियों द्वारा की जायेगी :-

(क) सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों से विषय के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(ग) पदोन्नति द्वारा।

9. राष्ट्रीयता–सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए वह आवश्यक है कि वह–

(क) वह भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा तंजानिया संयुक्त गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैर और इथियोपिया से आया हो,

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके गक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा उचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

10. आयु–अनुसूची में प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामले में 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूची के स्तंभ-2 में वर्णित प्रत्येक पद के सामने स्तंभ-3 में यथा वर्णित आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु–

(1) ऊपरी आयु सीमा को,

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों तथा सामान्य प्रवर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा,

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा, आर

(2) ऊपरी आयु सीमा को शारीरिक रूप से नि:शक्तों के मामले में निम्नानुसार शिथिल किया जायेगा :-

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष,

(ख) पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष, और

(ग) सामान्य प्रवर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष।

11. शारीरिक योग्यता–किसी व्यक्ति को उसे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित किये जाने के पश्चात् कार्यग्रहण करने दिया जायेगा।

12. रिक्तियों का आरक्षण–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से नि:शक्त, पिछड़े वर्ग, विशेष पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय के अधीन के पदों, सेवा में रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, अनुदेशों के अनुसार होगा। अध्यापन स्टाफ के लिए उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार प्रत्येक संकाय में विभाग वार रोस्टर प्रणाली लागू की जायेगी।

13. शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हताएँ और अनुभव–शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हताएँ तथा अनुभव ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा विहित किये जायें। आवश्यक अर्हताएँ शिथिलनीय नहीं हैं। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी को अनुभव में लेखबद्ध कारणों से शिथिलता प्रदान कर सकेगा।

14. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग–ऐसा अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या ऐसा बनावटी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज, जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का, जो सही नहीं है या मिथ्या है, या तात्विक सूचना छिपाने का या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अन्यथा कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है, दांडिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

15. संयाचना–इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

16. वैवाहिक स्थिति–(1) वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसके एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं।

(2) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम, 28) में दिया गया है।

(3) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु–

(क) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में जो 1.6.2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है,

(ख) जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व तर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहाँ संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(ग) उपर्युक्त उप-नियम (3) का उपबंध किसी विधवा की मृतक सेवाओं के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के अधीन की जानी वाली नियुक्ति को लागू नहीं होगा।

भाग 4

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

17. आवेदन आमंत्रित करना–विश्वविद्यालय में, जब कभी अपेक्षित हो, सीधी भर्ती के लिए आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियमों के अनुसार विज्ञापन के माध्यम से कुलपति/कुल-सचिव द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

18. चयन के संचालन के लिए नियम–(1) अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रशासनिक रिक्त पद सामान्यतया निम्न प्रकार विज्ञापित किये जायेंगे :-

(क) दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र,

(ख) दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचारपत्र,

(ग) एक स्थानीय समाचारपत्र,

(घ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय समाचार,

(ङ) रोजगार समाचार,

(च) लिपिकवर्गीय, तकनीकी तथा विविध पदों के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र।

(2) आवेदन विहित समय के भीतर कुल-सचिव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(3) साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्राध्यापक/सहायक आचार्य के भरे जाने वाले पदों की संख्या के छह बार से अधिक नहीं होगी।

(4) कुलपति साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा। पात्र अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति के समक्ष उसके अवलोकन के लिए रखी जायेगी।

(5) साक्षात्कार की सूचना किये जाने वाले चयन के साक्षात्कार के कम से कम दस दिन पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जायेगी। तथापि, अतिआवश्यकता की दशा में तार से भी सूचना भेजी जा सकेगी यदि चयन लघुतर अवधि की सूचना पर किये जाने हों।

(6) साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता संदत्त नहीं किया जायेगा। यदि चयन समिति की बैठक अकल्पित परिस्थितियों में आयोजित नहीं की जा सके तो उस स्थान से आने वाले अभ्यर्थियों को, जहाँ चयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है, लघुतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी रेल किराया संदत्त किया जायेगा। तथापि, दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(7) यदि किसी पद के लिए साक्षात्कार जोधपुर से बाहर आयोजित किया जाता है तो विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों को जो उक्त साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी हैं, जोधपुर से साक्षात्कार के स्थान तक के तथा वापसी के द्वितीय श्रेणी रेल किराये की सीमा तक भरपाई की जायेगी। तथापि, कोइ दैनिक भत्ता संदत्त नहीं किया जायेगा।

(8) चयन समिति की बैठक सामान्यतया जोधपुर में आयोजित की जायेगी। तथापि, यदि आवश्यक हो तो बैठक जोधपुर के बाहर ऐसे स्थान पर आयोजित की जा सकेगी जो कुलपति द्वारा अवधारित किया जाये।

(9) चयन समिति की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान कुलपति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

(10) सामान्यतया चयन समिति के सदस्यों को चयन समिति की बैठक की तारीख तथा समय कम से कम दस दिन पूर्व सूचित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में लघुतर अवधि की सूचना दी जा सकेगो।

(11) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

19. आवेदन का प्रपत्र—सीधी नियुक्ति के अध्यापन पदों के लिए तथा सभी अन्य पदों के लिए आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्रपत्र में किये जायेंगे।

20. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की संख्या की संवीक्षा तथा/या सूची के लघुसूचीयन के लिए नियम—(v) अध्यापन तथा अन्य अध्यापनेत्तर पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की

संवीक्षा कुलपति द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्देशित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की जायेगी।

(2) आचार्यों तथा सह-आचार्यों के पदों के लिए पात्रता की न्यूनतम अर्हताएँ (जिसमें शिथिलीकरण सम्मिलित है यदि नियमों के अधीन उपबंधित है) रखने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(3) यदि सहायक आचार्य पद के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या रिक्त पदों से छह से अधिक गुणा हो तो साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों के लघुसूचीयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। ऐसी लिखित परीक्षा 1.30 घण्टे अवधि की बहुचुनाव वस्तुपरक प्रश्नों की होगी।

(4) सहायक आचार्य के पदों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के अधिकतम **छह** बार होगी बशर्ते वे पात्रता की न्यूनतम अर्हताएँ (जिसमें शिथिलीकरण सम्मिलित है यदि नियमों के अधीन उपबंधित है) पूरी करते हों।

(5) तैयार सूची में योग्यता में सबसे ऊपर वाले छह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(6) कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुल-सचिव, सहायक कुल सचिव के पदों के लिए पात्रता की न्यूनतम अर्हताएँ (जिसमें शिथिलीकरण सम्मिलित है यदि नियमों के अधीन उपबंधित है) रखने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

21. योग्य अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना—चयन समिति संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी तथा सीधी भर्ती के मामले में योग्यताक्रम मं उनके नाम व्यवस्थित करेगी। सूची में चयन सूची के 50 प्रतिशत से अनधिक नाम प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे परन्तु प्रतीक्षा सूची में संख्या कम से कम एक होगी यदि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

22. सेवा में नियुक्ति—राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक और अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) अध्यापक और अधिकारियों की नियुक्ति, चयन तथा उसकी प्रक्रिया के मामले में लागू होगा। (प. 24)

चयन समिति द्वारा तैयार पैनल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् नियुक्ति का आधार होगा। तथापि, विश्वविद्यालय में अनुसूची के खण्ड क, ख, ग तथा घ के पदों पर सभी नियुक्तियाँ केवल सक्षम प्राधिकारी के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् की जायेंगी।

wx. **अस्थायी नियुक्ति**–यदि ऐसे किसी स्वीकृत पद के प्रति कोई रिक्ति है जिसके जल्दी भरे जाने की संभावना नहीं है किन्तु जिसे विश्वविद्यालय के सुगम कृत्यकरण के लिए तुरन्त भरा जाना अपेक्षित है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अर्ह व्यक्ति से ऐसे पदों को भरने के लिए पूर्णतया अस्थायी व्यवस्था करके भरा जा सकेगा परन्तु ऐसी नियुक्ति किसी भी दशा में छह मास से अधिक के लिए नहीं होगी जिसके दौरान नियमित नियुक्ति के माध्यम से पद को भरने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी। ऐसी नियुक्ति केवल विश्वविद्यालय द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के लिए विहित नियत पारिश्रमिक के बराबर समेकित मासिक संदाय पर होगी।

24. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति–यदि किसी पद विशेष को पदोन्नति, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रयास किया गया है किन्तु कोई योग्य अभ्यर्थी चयनित नहीं किया जा सका तो पद कुलपति द्वारा विहित शैक्षिक अर्हताएँ तथा अनुभव रखने वाले तथा सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संगठन में समान पद या एक स्तर नीचे का पद धारण करने वाले व्यक्ति से या किसी मान्यताप्राप्त आयुर्वेद महाविद्यालय से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा। ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगी तथा 5 वर्ष के परे अविस्तारीय होगी। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में उसका सक्षम प्राधिकारी की सम्मति से विस्तार किया जा सकेगा।

भाग 5

पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया

25. पदोन्नति की कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया–(1) अनुसूची-I के स्तंभ 6 में प्रगणित पदों के धारक स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर स्तंभ 5 में यथा-वर्णित सीमा तक उनके अनुसूची-I के स्तंभ 7 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएँ तथा अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए पदोन्नति के पात्र होंगे।

(2) उस व्यक्ति पर, जो अनुसूची-I के स्तंभ 6 में प्रगणित पद पर नियमित रूप से नियुक्त है, (अध्यापन खण्ड में शाखावार) पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(3) पदोन्नति अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रशासन पदों पर योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर की जायगी तथा लिपिकवर्गीय, तकनीकी तथा विविध पदों के लिए वह वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी।

26. चयन के लिए प्रक्रिया–(1) अभ्यर्थियों के चयन में उनकी–

(क) वरिष्ठता (अध्यापन खण्ड में शाखावार)

(ख) सेवा के पूर्व अभिलेख,–

का ध्यान रखा जायेगा।

(2) यथासंभव प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में कुलपति/कुल-सचिव उपलब्ध होने के लिए प्रत्याशित तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों को भरने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए उपलब्ध पदों की संख्या को ध्यान में रखकर नवीनतम वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों पर विचार करेगी।

(4) किसी पद के लिए नामों पर विचार करने के लिए विचार की सीमा संख्या सरकार के कार्मिक विभाग के अनुदेशों/आदेशों क अनुसार होगी।

27. सेवा में नियुक्ति–विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार पैनल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् नियुक्ति का आधार होगा। प्रबन्ध बोर्ड न्यायोचित आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा के लिए सस्तुति कर सकता है।

भाग 6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा वरिष्ठता

28. (क) परिवीक्षा की कालावधि–(1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की कोई वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो विश्वविद्यालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(ख) **परिवीक्षा के दौरान वेतन**–सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से नियत मासिक पारिश्रमिक दिया जायेगा जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये। तथापि,

अध्यापन तथा प्रशासनिक स्टाफ के अनुभव तथा अर्हताओं को देखते हुए उन्हें नियत पारिश्रमिक के स्थान पर वेतन तथा भत्ते दिये जायंगे :

परन्तु विश्वविद्यालय सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित होने वाले कर्मचारी को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान विद्यमान वेतनमान में उसके स्वयं के वेतनमान में परिलब्धियाँ या नये पद का नियत पारिश्रमिक, इनमें से जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(ग) **परिवीक्षाधीन का प्रतिवर्तन**–इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छह मास की कालावधि के दौरान स्थायीकरण का कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है तो अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने भर्ती की किसी भी रीति से अपनी नियमित नियुक्ति की तारीख के पश्चात् दो वर्ष की कालावधि या पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारी की दशा में उससे कम अवधि पूरी कर ली है, विहित परिवीक्षाकाल उसी नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन पद या उच्चतर पद पर कम है या प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर न होता तो वह इस प्रकार कार्य करता, उन्हीं शर्तों पर जो इन नियमों के अधीन विहित है तथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थायीकरण का हकदार होगा। यदि सेवा का कोई सदस्य परिवीक्षाकाल के दौरान संतोष प्रदान करने में विफल रहता है तथा उसे सेवा में स्थायी नहीं किया जाता है तो उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा जिस पर उसका धारणाधिकार है।

(घ) परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति–यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय वह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पायी जाती हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जिस पर वह परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति के ठीक पूर्व नियमित रूप से चयनित किया जाता है या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व परिवीक्षाधीन पशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में यदि उचित समझे तो किसी भी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

(ङ) स्थायीकरण–परिवीक्षा पर नियुक्त किसी अभ्यर्थी को परिवीक्षा की समाप्ति पर सेवा में उसकी आरंभिक नियुक्ति पर कुलपति द्वारा स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(1) उसने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है तथा वह स्थायी-करण के लिए उपयुक्त है।

ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसका परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया है और नियुक्ति प्राधिकारी ने न तो परिवीक्षा को बढ़ाया है न उसकी परिवीक्षा नियुक्ति को छह मास के भीतर रद्द किया है, पद पर स्वत: स्थायी किया हुआ समझा जायेगा।

(च) वरिष्ठता–(1) विश्वविद्यालय पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए वरिष्ठता सूची रखेगा तथा वर्ष में कम से कम एक बार उसे प्रकाशित करेगा।

(2) अध्यापन पदों में पिछली अध्यापन/अनुसंधान सेवा का लाभ विश्वविद्यालय में व्यक्तियों के कार्य ग्रहण करने पर सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार उन्हें प्राप्त होगा परन्तु ऐसा लाभ केवल पद के सेवा निवृत्त फायदों तक सीमित होगा तथा मूल वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय में उस पद पर उसकी नियुक्ति की तारीख से गिनी जायेगी।

(3) पदों के संवर्ग विशेष में चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता का क्रम वही होगा जो चयन समिति द्वारा तैयार सूची में है।

भाग 6

वेतन

29. वेतनमान–सेवा में अध्यापन, अध्यापनेत्तर तथा विविध खण्डों में नियुक्त कार्मिकों का वेतनमान ऐसा होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित तथा स्वीकृत किया जाये।

30. परिवीक्षा के दौरान वेतनवृद्धि–परिवीक्षा की दो वर्ष की कालावधि संतोषजनक रूप से पूरी कर लेने पर संबंधित व्यक्ति को वेतनवृद्धियाँ दी जायेंगी।

31. वेतन तथा अन्य शर्तों का विनियमन–इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय वेतन, भत्तें, अवकाश, भविष्य निधि और अन्य सेवा शर्तें जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं हैं, समय-समय पर सरकार में प्रवृत्त नियमों के अनुसार विनियमित की जायेंगी।

(प्रबंध बोर्ड की 8.6.07 को आयोजित बैठक में स्वीकृत तथा अनुमोदित)

अनुसूची-I

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) अध्यापन खण्ड (स्नातक महाविद्यालय)							
V.	आचार्य	z5 वर्ष	संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि। अनुभव: विभाग में कुल दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से सह-आचार्य/सहायक आचार्य के रूप में पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव या जहाँ कहीं सह-आचार्य/सहायक आचार्य के पद विद्यमान नहीं हैं वहाँ, प्राध्यापक के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय : 1. आयुर्वेद के विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच.डी.। 2. विषय पर प्रकाशित मूल पुस्तकें/लेख	सीधी भर्ती द्वारा	–	–	–
W.	सह-आचार्य	50 वर्ष	संबंधित विषय में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि। अनुभव : विषय में पाँच वर्ष का कुल अध्यापन अनुभव	सीधी भर्ती द्वारा	–	–	–

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
			आवश्यक है जिसमें से संबंधित विषय में प्राध्यापक के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए। वांछनीय : 1. आयुर्वेद के विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच.डी. 2. विषय पर प्रकाशित मूल पुस्तकें/लेख				
X.	सहायक आचार्य	45 वर्ष	संबंधित विषय में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि। अनुभव: कोई अध्यापन अनुभव अपेक्षित नहीं है। वांछनीय : आयुर्वेद के विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच.डी.। 2. विषय पर प्रकाशित मूल पुस्तकें/लेख	सीधी भर्ती द्वारा	–	–	–
टिप्पणी : आचार्य के पद के लिए विहित अर्हताएँ तथा अनुभव प्राचार्य के पद के लिए आवश्यक माना जायेगा तथा वह कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालय से नियुक्त/नामनिर्देशित किया जायेगा।							
(ख) प्रशासनिक खण्ड							
V.	कुल-सचिव	–	–	सरकार से प्रतिनियुक्ति	–	राजस्थान प्रशासनिक सेवा से जो चयनित वेतनमान/अतिकाल वेतनमान पा रहे हों।	–
W.	वित्त नियंत्रक	–	–	सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	–	राजस्थान लेखा सेवा से जो चयनित	–

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
						वेतनमान/अति काल वेतनमान पा रहे हों।	
x.	परीक्षा नियंत्रक	55 वर्ष	आवश्यक : (1) सांविधिक विश्वविद्यालय से प्रथम या द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि। (2) किसी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान में प्रशासनिक/शैक्षिक/परीक्षा अनुभाग में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम दस वर्ष का अनुभव	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें विफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा	उप कुल सचिव	वि.वि./राज्य सरकार या अन्य समान स्थापन में प्रशासनिक/ शैक्षिक/ परीक्षा अनुभाग म उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम दस वर्ष का अनुभव	–
y.	उप कुलसचिव	–	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि।	पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर समान वेतनमान के राज्य सेवा अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा	सहायक कुल सचिव	किसी वि.वि./राज्य सरकार या अन्य समान स्थापन में प्रशासनिक/शैक्षिक परीक्षा अनुभाग में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव	–
z.	निजी सचिव, कुलपति	50 वर्ष	w. सरकारी/अर्द्ध-सरकारी विभागों में निजी सचिव या अनुभाग अधिकारी या निजी सहायक के रूप में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम दस वर्ष का अनुभव जिनमें कम से कम पाँच वर्ष पर्यवेक्षक प्रास्थिति होनी चाहिए।	राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा या केवल प्रारंभिक स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा	अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति की दशा में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।	–

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. शासकीय प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी के साथ कार्मिक प्रबंध में पर्याप्त अनुभव। 4. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में अच्छी प्रवीणता।				
{.	सहायक कुल सचिव	45 वर्ष	आवश्यक : (1) सांविधिक विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (2) किसी विश्वविद्यालय में/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के स्वायतशासी संस्थान में प्रशासनिक/शैक्षिक/ परीक्षा में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम चार वर्ष का अनुभव।	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें विफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा	अनुभाग अधिकारी	किसी वि.वि./राज्य सरकार या अन्य सदृश स्थापन में प्रशासनिक/शैक्षिक परीक्षा में उत्तरदायी प्रास्थिति में कम से कम चार वर्ष का अनुभव।	-
|.	लेखाधिकारी	-	-	पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा जो राजस्थान लेखा सेवा का सामान्य वतनमान पा रहे हों।	सहायक लेखाधिकारी	पदोन्नति के लिए स्तंभ 6 में वर्णित पद पर कम से कम आठ वर्ष का अनुभव।	-
}.	फार्मेसी प्रबंधक	45 वर्ष	रस शास्त्र और भैषज्य कल्पना में सहायक आचार्य के अनुसार	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें विफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	-	-	-
टिप्पणी: रस शास्त्र में सहायक आचार्य को यह कार्य समनुदिष्ट किया जा सकेगा। *टिप्पणी: सीधी भर्ती या पदोन्नति करते समय कुलपति या चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों पर विचार करेगी तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का अवधारण करेगी तथा तदनुसार भर्ती/पदोन्नति के लिए कार्रवाई करेगी।*							
(ग) चिकित्सा, पराचिकित्सा, अधीनस्थ, तकनीकी और लिपिकवर्गीय खण्ड							

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
(i) चिकित्सा स्टाफ							
v.	चिकित्सक	45 वर्ष	आवश्यक चक्रानुकमी अंत:शिक्षुता सहित आयुर्वेद में मान्यताप्राप्त स्नातक उपाधि	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें विफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	-	-	-
(ii) पराचिकित्सा स्टाफ							
w.	नर्सिग अधीक्षक ग्रेड II	-	-	पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार से वरिष्ठ कम्पांउडर/नर्स के रूप में समान पद से प्रतिनियुक्ति द्वारा	नर्स ग्रेड I या वरिष्ठ कम्पाउंडर/नर्स	स्तंभ 6 के पद पर 4 वर्ष का अनुभव	-
x.	नर्स ग्रेड I	-	-	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा/राज्य सरकार से वरिष्ठ कम्पाउंडर/नर्स के समान पद से प्रतिनियुक्ति द्वारा	नर्स ग्रड II या वरिष्ठ कम्पाउंडर/नर्स	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 7 वर्ष का अनुभव	-
y.	नर्स ग्रेड II	35 वर्ष	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर तथा इनके समान विश्वविद्यालय से अन्त:शिक्षुता को सम्मिलित करते हुए कम से कम 3 वर्ष का आयुष नर्सिंग में डिप्लोमा	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-
(iii) अधीनस्थ स्टाफ							
v.	सहायक लेखाधिकारी	-	-	राज्य सरकार से प्रति नियुक्ति/पदोन्नति	लेखाकार से पदोन्नति	पदोन्नति के लिए लेखाकार के पद पर 8 वर्ष का अनुभव	-
w.	सांख्यिकीय सहायक	-	-	राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम से प्रतिनियुक्ति द्वारा	-	-	-
x.	लेखाकार	-	-	राज्य सरकार या राज्य सरकार के	कनिष्ठ लेखाकार से	पदोन्नति के लिए स्तंभ 6 में वर्णित	-

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
				उपक्रम से प्रतिनियुक्ति द्वारा/पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति	पद पर 8 वर्ष का अनुभव	
y.	कनिष्ठ लेखाकार	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक, वित्तीय प्रबंध में उपाधि/डिप्लोमा धारक को अधिमान। अनुभव : कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 6 मास का अनुभव	सीधी भर्ती द्वारा/राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम से प्रतिनियुक्ति	-	-	-
z.	पुस्तकालय ाध्यक्ष	45 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एल.आई.डी. पुस्तकालय विज्ञान 3. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर 10 वर्ष का अनुभव अधिमान्य-संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर केवल प्रारंभिक स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 10 वर्ष का अनुभव	-
{.	सहायक पुस्तकाल याध्यक्ष	35 वर्ष	1. किसी विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी उपाधि 2. किसी विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की उपाधि या डिप्लोमा अधिमान्य-संस्कृत हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
|.	सूचीकार	-	-	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर समान पदों से प्रतिनियुक्ति द्वारा	पुस्तकालय सहायक	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 10 वर्ष का अनुभव	-
}.	पुस्तकालय सहायक	35 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/ सी.बी.एस.ई. से 10+२ / एच.एस.सी./एस.ए स.सी. 2. कम से कम एक वर्ष की अवधि का पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-
~.	चालक	35 वर्ष	1. मिडिल विद्यालय शिक्षा या समकक्ष 2. हल्के तथा भारी यानों की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-
(iv) तकनीकी स्टाफ							
v.	संग्रहालय सहायक	45 वर्ष	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान/रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में 10 वर्ष का अनुभव	-
w.	प्रयोगशाला तकनीशियन	40 वर्ष	मान्यताप्राप्त, राज्य शिक्षा बोर्ड/सी.बी.एस.ई. से विज्ञान में 10+2/ एच.एस.सी./एस.ए स.सी. और प्रयोगशाला तकनीक में 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/स	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रयोगशाला सहायक	v. मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/सी.बी. एस.ई. से विज्ञान में 10+2/ एच.एस.सी./ एस.एस.सी. 2. प्रयोगशाला सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	-

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
			स्था से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का चिकित्सा तकनीक में डिप्लोमा				
x.	प्रयोगशाला सहायक	35 वर्ष	मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/सी.बी.एस.ई. से विज्ञान में 10+2/ एच.एस.सी./एस.ए स.सी. और प्रयोगशाला तकनीक में व्यावसायिक पाठ्यक्रम या डिप्लोमा	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-
y.	एक्स-रे तकनीशिय न	35 वर्ष	(द्व) मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/सी.बी.एस.ई. से 10+2/एच.एस.सी. / एस.एस.सी. और एक्स-रे तकनीक में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (द्वद्व) डार्क रूम से सम्बन्धित कार्य-कुशलता	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-
z.	सहायक भेषजज्ञ	35 वर्ष	राजस्थान विश्वविद्यालय/राज स्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर और उसके समकक्ष विश्वविद्यालय से अन्त:प्रशिक्षु सहित कम से कम तोन वर्ष की अवधि का आयुष नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-
{.	पंच कर्म सहायक	35 वर्ष	राजस्थान विश्वविद्यालय/ राजस्थान	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
			आयुर्वेद विश्वविद्यालय और उसके समकक्ष विश्वविद्यालय से अन्त:प्रशिक्षु सहित कम से कम तीन वर्ष की अवधि का आयुष नर्सिंग तथा फार्मेसी डिप्लोमा अधिमान्य: पंचकर्म में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम				
(v) लिपिक वर्गीय स्टाफ							
v.	अनुभाग अधिकारी	-	-	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम से समकक्ष पद से प्रतिनियुक्ति द्वारा	कार्यालय सहायक	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
w.	निजी सहायक	45 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि 2. निजी सहायक/शीघ्र लिपिक के रूप में उत्तरदायी धारिता में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव 3. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में अच्छी प्रवीणता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा या केवल प्रारंभिक स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा	शीघ्र लिपिक	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
x.	कार्यालय सहायक	-	-	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम से समकक्ष पद से प्रतिनियुक्ति द्वारा	वरिष्ठ लिपिक	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
y.	शीघ्रलिपिक	35 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/ सी.बी. एस.ई. से	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
			10+2/ एच.एस.सी./एस.ए स.सी. 2. शीघ्रलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट लिखने तथा अंग्रेजी/हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण करने की योग्यता 3. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में अच्छी प्रवीणता।				
Z.	वरिष्ठ लिपिक	35 वर्ष	1. किसी विश्वविद्यालय से उपाधि। 2. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में अच्छी प्रवीणता।	कनिष्ठ लिपिकों में से 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा। केवल प्रारंभिक स्तर पर लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से कनिष्ठ लिपिकों या समान या ऊपरी वेतनमान वालों में से सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	कनिष्ठ लिपिक	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 8 वर्ष का अनुभव	-
{.	कनिष्ठ लिपिक	35 वर्ष	मान्यताप्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड/ सी.बी.एस.ई. से 10+2/एच.एस.सी ./एस.सी.सी.। 2. कार्मिक विभाग के मानकों केअनुसार विहित टंकण गति। 3. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में अच्छी प्रवीणता।	85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 15 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। पदोन्नति कार्मिक विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से की जायेगी।	जमादार/चतुर्थ श्रेणी से	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 8 वर्ष का अनुभव	-
(घ) चतुर्थ श्रेणी खण्ड							
V.	जमादार	35 वर्ष	पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति	चतुर्थ श्रेणी से	स्तंभ 6 में वर्णित पद पर 8 वर्ष का अनुभव	-

क्र. सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा है	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में किस पद से	पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में अर्हताएँ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
W.	चतुर्थ श्रेणी	35 वर्ष	पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-
(प्रबंध बोर्ड द्वारा 8.6.07 को आयोजित बैठक में स्वीकृत और अनुमोदित।)							
एस.डी. **(चैनसिंह पंवार)** कुल-सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर				अनुमत। एस.डी. **(प्रभा राव)** कुलाधिपति राजस्थान के विश्वविद्यालय			